

1- अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो :


डा0 अवध किशोर मिश्रा, संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश.

2- वर्तमान धारित पद : संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश.

3- वर्तमान वेतन : मूल वेतन 55000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख: 01.7.2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो.	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे.	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे.	वर्तमान मूल्य.	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासक कर्म से क्या संबंध है.	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा.	संपत्ति से वार्षिक आय.	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
टीकम-गढ़	-	कृषि पारिवारिक भूमि 16-एकड़	अनुमानित मूल्य 5-लाख	स्वयं के नाम से	नीलामी से ली थी सन् 1990	कृषि से आय लग-भग दस हजार	-
टीकम-गढ़	आवासीय भवन 70X70 वर्गफिट	-	सात लाख रुपये	स्वयं के नाम से	वर्ष 1989 में प्लॉट क्रय कर भवन निर्माण	-	-

हस्ताक्षर



नाम : डा0 अवध किशोर मिश्रा

पद : संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल.

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 20

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... डॉ. सुभाष पाचपार, स्कूल शिक्षक
- 2- वर्तमान धारित पद..... अपर संचालक लोक शिक्षण
- 3- वर्तमान वेतन..... 51910/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख..... माह जुलाई 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * * खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भायाला तहसील दुजूर ज. भायाला	घर इपलेक्स सकान प्लॉट नं. 21 श्रीगणेशना एलेजर मावाडिया कला	23 भा.स. रूप अभिक	द्वयं एवं पत्नी के नाम	खरीदा गया! (GPF शांश + बैंक लोन)	निर्दिष्ट		

E-8-एक्सप्लान

* जहां ला ू न हो काट दीजिए। भायाला

* * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किराी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसका धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

डॉ. सुभाष पाचपार
अपर संचालक
लोक शिक्षण

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2010**

- | | |
|---|--|
| (1) अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो: | पी0एल0अहिरवार, स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 |
| (2) वर्तमान धारित पद: | अपर संचालक, लोक शिक्षण म0प्र0 |
| (3) प्रथम नियुक्ति का पद एवं दिनांक: | उच्च श्रेणी शिक्षक, 28.07.1973 |
| (4) प्रथम नियुक्ति के समय मूलवेतन: | 150 + डी.ए. |
| (5) वर्तमान पद का मूलवेतन: | 32250 + 7600 + डी.ए. |

उस जिले, उपसंभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है, उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
01	02	03	04	05	06	07	08
ग्राम दिगवार खुर्द तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश	रहवासी घर 45X40 = 1800 40X40 = 1600	—	लगभग—तीन लाख रुपये	स्वयं के नाम पर	विरासत (पैतृक)	—	—
—तदैव—	—	कृषि भूमि सिंचित तीन एकड़,	लगभग—दो लाख रुपये	स्वयं के नाम पर	विरासत (पैतृक)	30,000/—	—
—तदैव—	—	असिंचित भूमि पाँच एकड़	लगभग—एक लाख रुपये	स्वयं के नाम पर	शासकीय पट्टा	—	—
—तदैव—	—	कृषि भूमि सिंचित दो एकड़	लगभग—एक लाख पचहत्तर हजार	पत्नी श्रीमती सुशीला अहिरवार के नाम पर	शासकीय पट्टा (क्रय किया गया)	20,000/—	—


*जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

**ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी—मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टा बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

नाम
पदनाम
स्थान


पी0एल0अहिरवार
अपर संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का वितरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. कौशल किशोर पांडेय, स्कूल शिक्षक
- 2- वर्तमान धारित पद संयुक्त संचालक
- 3- वर्तमान वेतन ₹ 31,600/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख जुलाई 2010

उस जिले, उप तंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियु
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने को अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

अभियुक्ति:- मेरे परिवार (पत्नी, पुत्र एवं पुत्री) के नाम भौशाल से कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। इंदौर में पिताजी के साथ संयुक्त परिवार रहता है। इंदौर का घर मेरे पिताजी के नाम है। इससे कोई आय नहीं होती।

हस्ताक्षर.....

नाम डॉ. कौशल किशोर पांडेय

पद संयुक्त संचालक

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 20

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... श्रीमती मन्मा नसीर सयूदा संपन्न
- 2- वर्तमान धारित पद..... सिड्डुवा संपन्न, लोक शिवा मन्ग
- 3- वर्तमान वेतन..... 31600/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख..... जुलाई 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * * खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि ✓					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	मावासीप टावर खस्य नं. 11-2 ख 1/3/24-12/2 ख 11 क्म 3049 वर्ग फुट गाय मिना (पूजा) एच फोर्ट 213 भोपाल	5 मावासीप टावर	5 मावासीप टावर	स्वयं के नाम पर	2 वर्षीय बच्चा	-	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- * * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
- * * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर..... श्रीमती मन्मा नसीर

नाम..... श्रीमती मन्मा नसीर

पद..... सिड्डुवा संपन्न, लोक शिवा मन्ग

श्री. सयूदा संचा. मो. 132
दिनांक 1-4-10

74-10

7.4.10

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... वी.एस. सक्सेना, स्कूल शिक्षा विभाग
- 2- वर्तमान धारित पद..... संयुक्त संचालक
- 3- वर्तमान वेतन 316-एए-ए अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1.07.2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाव	भवन	*	150,000	स्वयं के नाम पर	कृप की गई दि. 04.03.04 रु. 10,77,000/- प्लॉट साइज 23' x 46' पर निर्मित भवन, स्वयं की वचत एक बैंक से लोन लेकर कृप किया गया	निरंक	स्वयं के निवास लेव

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

* * * इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

V.S.

V. S. SAXENA

Joint Director

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2010

- 1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो..... श्री. राजेश कुमार शर्मा
- 2- वर्तमान धारित पद..... सहायक संचालक, लोक शिक्षण, उत्तर प्रदेश
- 3- वर्तमान वेतन..... 31740 + DA अगली वेतन वृद्धि की तारीख..... अक्टूबर 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, * * *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री. राजेश कुमार शर्मा 1/102, 1/101- मुन्शीबाग मोहनपुर 022- 23x50 B-146	3x30 फीट 022	-	31740 रुपये	स्वयं के नाम पर	पट्टा - अर्जित (G.P.F.), (सं. 26-8-2003) (अर्जित)	-	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही- सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 {3} के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....
 नाम..... श्री. राजेश कुमार शर्मा
 पद..... सहायक संचालक, लोक शिक्षण, उत्तर प्रदेश

फार्म

प्रधान विद्युत् नियंत्रण अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्र. ज. केशोर शर्मा - कुल शिक्षा अधिकारी वर्तमान धारित पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म. सं.
 2. वर्तमान बंटन 39, 2017 अगली के आवृत्ति की तारीख 1 अक्टूबर 2011

उस जिले, उप विभाग, हासुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	संपत्ति का विवरण तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, परत, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिकृत
	पह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
39 अंश उत्तर दिशि 16 अंश पूर्व दिशि, शासकीय विद्यालय, जिला/विभाग: उज्जैन	शह (जिल्हा)	-	35,00,000	स्वयं के नाम से	खरीद श्रीमती कोरादेवी से 1999 में रु. 2,60,00,000 को करके 60 हजार में खरीदा। पश्चात् निष्कासित किया गया।	कोई नहीं	
शासकीय परिसर/जिला उज्जैन	-	खरीद 17.77 (5005.9 फी.)	40,000	स्वयं के नाम से	श्री गुरु निष्कासित करके 1987 में 2,000 में खरीदा (को हजार में) काय विरासत था।	कोई नहीं	
शाजापुर जिला शाजापुर जिला उज्जैन (खंड क्र. 11 मंडल नं. 16)	1071 Sq. ft	-	8,00,000	स्वयं एवं आई के नाम से	पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त [अनु. का एक अंश] वर्ष 2003 में खरीदा किया।	कोई नहीं	
शाजापुर जिला शाजापुर जिला उज्जैन और बालाजपुर में कुल	कुल 108 Sq. ft.	-	2,00,000	स्वयं एवं आई के नाम से	पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त।	3600 रु. वार्षिक निर्यात	

* - उक्त मूल्य न हो काट दोबारा।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का मही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन परतें भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्ति) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार माहाने की अपेक्षा के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व के तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा अन्य विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परतें या बंधक या उन्मूलन पर धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर S. K. Sharma
 नाम श्री के. शर्मा
 पद संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म. सं.


15:14 05/17/10 SUGANDHI*PHOTOCOPY 5014068

102
17-5-10

अचल संपत्ति का विवरण माह जनवरी 2010

1. अधिकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम – श्री राजेन्द्र प्रसाद, – रा.सि.सेवा- स्कूल शिक्षा
2. वर्तमान धारित पद:- उप संचालक
3. प्रथमनियुक्ति का पद – परियोजना अधिकारी (सहायक संचालक संवर्ग) दिनांक 06.01.93
4. वर्तमान मूल वेतन :- 28,022 /-
5. अगले वेतनवृद्धि की तारीखा-छठवे वेतन आयोग अनुसार जुलाई 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		सम्पत्ति अर्जित करने का दिनांक व उसका मूल	वर्तमान मूल	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कोलार रोड, भोपाल	निरंक	पडत भूमि	सितम्बर 08 क्रय मूल रु. 4लाख	लगभग रु.6 लाख (अनुमानित)	स्वयं के नाम पर	खरीद कर, अर्जन की तारीख – सितम्बर 08 श्री ओम प्रकाश साहू से कय	निरंक	1. आयुक्त लो.शि.म.प्र. अनुमति प्राप्त माह सितम्बर 2008। 2. स्वयं तथा पत्नी के वेतन से अर्जित एवं सा. भ.निधि से आंशिक आहरण कर कय किया

हस्ताक्षर :- 

नाम :- श्री राजेन्द्र प्रसाद

पद :- उप संचालक

विभाग :- लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।

// फार्म //


अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष मार्च 2010

- 1- अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम पता उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
- 2- वर्तमान धारित पद
- 3- वर्तमान वेतन रूपये
अगली वेतन वृद्धि की तारीख

बलवंत वर्मा
उप संचालक
23210+5400
जुलाई 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय) प्लॉट एवं कृषि भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्या बतलाया जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।


हस्ताक्षर
नाम बलवंत वर्मा
पद उप संचालक लोक शिक्षण म.प्र.

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय ओर उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।
नोट:- आवेदक जन्म से आज तक अविभाजित हिन्दू परिवार का सदस्य है सम्पत्ति प्राप्त होने पर यथासमय विभाग को सूचित किया जावेगा।

